आकाशवाणी केन्द्र शिमला

27.08.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1800 बजे

प्रश्नकाल

राज्य सरकार प्रदेश में जल्द तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 8 सौ 85 पदों को भरने जा रही है। ये पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रशेखर के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एचआरटीसी में सबसे ज्यादा 3 सौ 60 जबकि पशुपालन विभाग में एक सौ 88, और बिजली बोर्ड में अलग–अलग श्रेणियों के 2 सौ 75 पदों सहित विभिन्न विभागों के पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित सभी विभागों को 31 दिसंबर 2024 तक नियुक्ति की सिफारिशें करने को कहा गया है। विधायक बिक्रम सिंह के सवाल के लिखित जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में वन मंडल अधिकारी के 2 सौ 96 में से एक सौ 17 पद खाली चल रहे हैं। खाली चल रहे इन पदों में से 76 पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने हैं और 41 पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य बिजली बोर्ड में इस समय विभिन्न श्रेणियों के 7 हज़ार 3 सौ 13 पद खाली हैं।

बोर्ड में स्वीकृत 25 हज़ार 4 सौ 43 पदों में से 18 हज़ार एक सौ 30 पद विभिन्न श्रेणियों में भरे गए हैं। जबकि अभी भी बोर्ड के पास सात हजार से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड में 15 मई 2003 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के पैटर्न के अनुसार पुरानी पेंशन योजना लागू है, जबकि 15 मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में शामिल किया गया है।

शोकोदगार

प्रदेश विधानसभा में आज तीन पूर्व विधायकों टेक चंद डोगरा, नारायण सिंह स्वामी और दौलत राम चौधरी के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। मॉनसून सत्र के शुरू होने पर सदन के नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में शोक प्रस्ताव लाया। टेकचंद डोगरा नाचन से विधायक थे, वहीं दौलत राम चौधरी कांगड़ा से और नारायण सिंह स्वामी घुमारवीं से विधायक थे। मुख्यमंत्री ने इन तीनों पूर्व विधायकों के निधन पर शोक जताते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की और शोकाकुल परिवारों को इस असहनीय दुख को सहन करने की प्रार्थना की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी शोकोद्गार में हिस्सा लिया और तीनों पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने तीनों पूर्व सदस्यों के निधन पर दुख जताया और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई। उन्होंने राज्य में आपदा में मारे गए लोगों के प्रति भी संवेदना जताई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और विधायक विनोद कुमार, रणधीर शर्मा, चंद्रशेखर, राकेश जम्वाल ने भी शोकोद्गार में हिस्सा लिया और तीनों पूर्व विधायकों के निधन पर शोक जताया।

वॉकआउट

प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरूआत विपक्ष के वाकआउट से हुई। विपक्षी दल भाजपा ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न मिलने के विरोध में सदन से वाकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में शोकोद्गार के तुरंत बाद कानून व्यवस्था का मामला उठाते हुए कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और सरकार तुरंत सदन का सारा कामकाज रोककर प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करवाए।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव का यह कहते हुए विरोध किया कि भाजपा विधायकों ने नियम 130 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा दे रखी है। इसलिए इस मुद्दे पर नियम 67 के तहत चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आपराधिक मामलों में तीन गुणा बढ़ोतरी हुई है और सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने इस मुद्दे पर व्यवस्था देते हुए कहा कि वह इस मामले को सत्र के दौरान बाद में चर्चा के लिए लाएंगे और फिलहाल वह विपक्ष के नियम 67 के तहत लाए गए चर्चा के नोटिस को रद्द कर रहे हैं। इसके बाद पूरा विपक्ष अपनी सीटों पर खड़ा हो गया और शोरगुल करने लगा। बाद में पूरा विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया।

———————————————————————